न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 2666–पीबीआर/2013 विरूध्द आदेश दिनांक 24–06–13 पारित अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 251/11–12 अपील.

1– भूरीबाई पति नरमेसिंहजी
2– मानिया पिता नरमेसिंहजी
3– मदन पिता नरमेसिंहजी
4– चैना पिता नरमेसिंहजी
5– लक्ष्मण पिता नरमेसिंहजी
समस्त निवासी ग्राम बायड़ी, तह0 सैलाना,
जिला रतलाम, म0प्र0 ---- आवेदकगण

विरूध्द

गेता पिता थावरा गामड भील
निवासी ग्राम बांकी, तह0 सैलाना,
जिला रतलाम, म0प्र0 ---- अनावेदक

श्री शैलेन्द्र व्यास, अभिभाषक – आवेदकगण
श्री राजीव उबी, अभिभाषक– अनावेदक

आदेश
(आज दिनांक 08 मई,.2015 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के अपील प्रकरण कमांक 251/11–12 में पारित आदेश दिनांक 24–06–13 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक गेता ने संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया कि उनके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे क0 43 रकबा 2.30 हे0 पर इस वर्ष 2011 के अषाड माह में अनावेदगण, इस प्रकरण में आवेदकगण, ने एक–साथ आकर जबरन कब्जा कर भूमि बो दी है। अतः उन्होंने भूमि का कब्जा दिलवाये जाने का अनुरोध किया। तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबध्द कर कार्यवाही प्रारम्भ की और आवश्यक कार्यवाही के

पश्चात अपने आदेश दिनांक 21–11–11 व्दारा प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा अनावेदक मेताबाई को दिये जाने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूध्द प्रस्तुत की गयी अपीलें अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 6–2–12 एवं 24–6–13 व्दारा खारिज की। अतः आवेदकगण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैने अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा विव्दान अभिभाषकों के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। विचारण तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि तहसीलदार ने प्रकरण में आदेश पारित करने के पूर्व आवेदनकर्त्ता मेताबाई व्दारा प्रस्तुत आवेदनपत्र के संबंध में मेताबाई की ओर से कोई साक्ष्य नहीं ली। यहॉ तक कि आवेदनकर्त्ता मेताबाई की भी साक्ष्य आवेदनपत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में लिपिबध्द नहीं की गयी। यदि तहसील न्यायालय में आवेदकगण व्दारा जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया तो उनका जबाव का अवसर समाप्त कर मेताबाई व्दारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदनपत्र पर आवेदनकर्त्ता की ओर से साक्ष्य लिपिबध्द कर प्रकरण का विधिवत निराकरण करना चाहिये था। संहिता की धारा 250 के आवेदनपत्र में अंकित तथ्य साक्ष्य से प्रमाणित हुए बिना प्रश्नाधीन भूमि का आधिपत्य वापिस दिये जाने के आदेश देने में तहसील न्यायालय में विधिक त्रुटि की है और इस ओर दोनों अपीलीय न्यायालयों व्दारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। ऐसी दशा में अपीलीय न्यायालयों के आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नही है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार का आदेश दिनांक 21–11–11, अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 06–02–12 तथा अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 24–06–13 निरस्त किये जाते हैं।

(एम0के0सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर,